IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 2, May 2024

तलाक : एक सामाजिक और पारिवारिक चुनौती (मुस्लिम महिलाओं के संदर्भ मे)

डॉ गौरव त्रिपाठी
असिo प्रोo ,राजनीति विज्ञान
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुसाफिरखाना, अमेठी, उत्तर प्रदेश

शोध सार

समाज लोगों का एक संगठन है जो सभ्यता पूर्वक जीवन जीने के लिए स्वाभाविक रूप से निर्मित हुआ है। समाज के व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तथा अराजकता को समाप्त करने के लिए विभिन्न धर्मो और संप्रदायों में विवाह, तलाक ,उत्तराधिकार आदि की व्यवस्था की गई है । विवाह एक नैतिक और सामाजिक व्यवस्था है जिसके बिना इस सृष्टि का सुचारू रूप से संचालन संभव नहीं है। विवाह भौतिक और आध्यात्मिक मिलन के रूप में स्वीकारा जाता है, किंतु कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि विवाह संस्था का निर्वाहन हो पाना कठिन हो जाता है। इसके लिए इस्लाम में तलाक की व्यवस्था की गई है। इस्लाम में तलाक के तीन प्रकार के बतलाए गए हैं -जिसमें तलाक -ए अहसन को आदर्श तलाक का तरीका माना गया है। इस्लाम में तलाक से पूर्व मध्यस्थता और सलाह की व्यवस्था की गई है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा है की पति-पत्नी और बच्चों के बीच मधुर संबंध सदैव रहने चाहिए जिससे व्यक्तित्व और समाज का सही दिशा में विकास हो सके।

मुख्य शब्द ;

तलाक,तलाक ए अहसन, तलाक -ए-शिद्दत, तलाक -ए -बिद्दत ,सुलह , मध्यस्थता, निकाह, पैगंबर ,परिवार ,कुरान, इस्लाम।